



# भारत का राजपत्र

## The Gazette of India

असाधारण

### EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)

PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 591 ]

नई दिल्ली, सोमवार, अगस्त 20, 2001/श्रावण 29, 1923

No. 591 ]

NEW DELHI, MONDAY, AUGUST 20, 2001/SRAVANA 29, 1923

कृषि मंत्रालय

(पशुपालन एवं डेयरी विभाग)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 17 अगस्त, 2001

का. आ. 802(अ).—पशुधन आयात अधिनियम, 1898 (1898 का 9) के खंड 3 तथा खंड 3ए के उपखंड (1) द्वारा प्रदत्त शर्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्र सरकार तत्काल प्रभाव से निम्नलिखित पशुओं तथा पशु उत्पादों को ऐसे देशों से आयात पर प्रतिबंध लगाती हैं जहाँ पर संचरणीय स्पोन्जीफ्लोपैथी रोग समूह, जो मट्रोपशु प्रजातियों से संबंध रखते हैं, रोगों की सूचना दी गई है,

- (1) जीवित गोपशु, भैंस, भेड़ तथा बकरी;
- (2) बोवाइन, ओवाइन तथा कैप्राइन भूष अथवा अण्डा;
- (3) रुमिनेन्ट ताजा मीट, मीट उत्पाद, टिश्यू, आर्गन तथा मीट और बोन मील (एम बी एम); तथा
- (4) पैट फूड उत्पाद अथवा रुमिनेन्ट गूल के अवयव।

गह अधिसूचना, अधिसूचना संख्या का. आ. 2280 दिनांक 6 अगस्त, 1999 के अधिकमान में जारी की जाती है।

[फाइल संख्या 109-6/2001-ट्रैड।  
चित्रा गौरी लाल, रामेश्वर संगीत]

MINISTRY OF AGRICULTURE

(Department of Animal Husbandry and Dairying)

### NOTIFICATION

New Delhi, the 17th August, 2001

S.O. 802(E).—In exercise of the powers conferred by sub-section (i) of Section 3 and Section 3A of the Livestock Importation Act, 1898 (9 of 1898), the Central Government hereby prohibits, with immediate effect, the import into India of the following animals and animal products from countries where disease(s) belonging to the Transmissible Spongiform Encephalopathy (TSE) group of diseases, which relate to the corresponding animal species, have been reported :—

- (i) live cattle, buffaloes, sheep and goat;
- (ii) bovine, ovine and caprine embryos or ova;
- (iii) fresh meat, meat products, tissue, organs and meat and bone meal (MBM), of ruminant origin and
- (iv) pet food products or ingredients, thereof, of ruminant origin.

2. This notification is issued in supersession of Notification No. S.O. 2280 dated 6th August, 1999.

[File No. 109-6/2001-10  
CHIEF HEDQUARTERS]